नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर-6, नौएडा

प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा प्राधिकरण के आवासीय भवन विभाग की योजना कोड संख्या 2022–23 (एच)(01) के अन्तर्गत प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 52, 62, 71, 99, 118, 135 में प्राधिकरण द्वारा निर्मित कुल 338 एल0आई0जी0, एम0आई0जी, एच0आई0जी एवं डुप्लेक्स भवनों की योजना का प्रकाशन दिनांक 02.01.2023 से 31.01.2023 तक के लिये कराया गया है । योजना में सम्मिलित 338 भवनों में से 24 एम0आई0जी0, एच0आई0जी0 एवं डुप्लेक्स भवन जिनका आवंटन ई–ऑक्शन के माध्यम से कराया जाना है, के विरूद्ध बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31.01.2023 निर्धारित थी । योजना की विवरणिका की धारा 4 "MODE OF ALLOTMENT" "FOR MIG, HIG & DUPLEX (ON E-AUCTION BASIS)" की उप–धारा (i) में उल्लिखित है कि:–

Allotment of all built up flats will be done through E-Auction process wherein the E-bidder will bid for the highest bid against the reserve price mentioned in the E-brochure. Those built up flats which will have single bid during e-auction, they will be considered for allotment. In case there are no bidders participating in the first instance against the built up flat, then last date for submission of application shall be extended two times by 7 days each for that particular flat(s).

प्रचलित योजना में सम्मिलित 24 भवनों में से केवल 01 भवन के सापेक्ष प्रक्रिया शुल्क एवं ई0एम0डी0 की धनराशि प्राप्त हुई है । अतः योजना की उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार अवशेष 23 भवनों को दिनांक 31.01.2023 से 07 दिवसों को लिये निम्न समय–सारणी के अनुसार रोल ओवर किया जा रहा है:–

क.सं.	विवरण	तिथि
1	रोल ओवर प्रारम्भ की तिथि	01.02.2023
2	प्रक्रिया शुल्क एवं ई0एम0डी0 जमा कराने की अन्तिम तिथि	07.02.2023 सांय 5.00 बजे तक
3	बिड सबमिशन (फाईनल बिड सबमिशन) की अन्तिम तिथि	09.02.2023 (जिन आवेदकों द्वारा प्रक्रिया शुल्क एवं ई0एम0डी0 दिनांक 07.02.2023 तक जमा करा दी गई हो)

नोट:– उपरोक्त समय–सारिणी एल0आई0जी0 भवनों पर लागू नहीं होगी ।